राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक : 10 DEC 2021

अधिसूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 90, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 85, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 85, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 104–ए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 16(4) तथा नियम 9(1) एवं राज्य सरकार को सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकहित में राज्य सरकार प्रीमियम दरों में संशोधन निम्नानुसार करती है :–

"प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" में विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29.10.2021 के बिन्दु संख्या 1 व 1 के स्पष्टीकरण तथा बिन्दु संख्या 3 मे उल्लेखित आवासीय प्रविष्टि के सम्मुख अंकित 300 वर्गमीटर की प्रविष्टि को 500 वर्गमीटर से प्रतिस्थापित किया जाता है।"

उक्त छूट वित्त विभाग की आईडी सं. 1021105897 दिनांक 06.12.2021 द्वारा अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं नियमानुसार राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव
10/12

Scanned with CamS